न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, जौनपुर।

वाद संख्या– टी–201614360 42054 धारा 80 राजस्व संहिता
मौजा–बेलापार परगना रारी तहसील सदर जिला जौनपुर।
विकास यादव बनाम सरकार

धर्मा देवी महा विद्यालय बेलापार हयातगंज बक्शा जौनपुर जरिये प्रबन्धक विकास यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी श्रीकृष्णपुरम नईगंज जौनपुर ने आराजी नम्बर 871मि0 /0.044, 873/0.174हे0 कुल 0.218 हे0 भूमि स्थित ग्राम बेलापार परगना रारी तहसील सदर जिला जौनपुर ने बावत धारा 80 राजस्व संहिता के अन्तर्गत इस अभिकथन के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि आराजी निजाई के मालिक काविज है। आराजी निजाई में बाउण्ड्रीवाल एवं भवन निर्माण हेतु नींव भरी है, जोता बोया नही जाता है, अकृषिक है। अन्य अभिकथनों के साथ कृषिक घोषित करने हेतु मॉग की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार सदर ने इस आशय की आख्या प्रेषित किया है कि आराजी नम्बर 871मि0/0.44, 873मि0/0.174 कुल 0.218 हे0 बाउण्ड्रीवाल एवं आवादी से अच्छादित भूमि है। उक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य नही हो रहा है, भूमि अकृषिक हो चुकी है। कृषि कार्य में प्रयुक्त न होने के कारण अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 30.04.2016 स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा बेलापार परगना रारी तहसील सदर जिला जौनपुर की गाटा संख्या 871मि0/0.44, 873मि0/0.174 कुल 0.218 हे0 भूमि का मालगुजारी मुताबिक 60ख कृषी से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होना घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर एवं उप निबन्धक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही हेतु संचित अभिलेखागार हो।

30-4-16
उप जिलाधिकारी,
सदर–जौनपुर।

सत्यापित

उप जिलाधिकारी
सदर जौनपुर
30-4-16

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, जौनपुर

वाद संख्या–टी2015143604243। धारा 143 ज0बि0अ0

धर्मा देवी महाविद्यालय ——बनाम ——सरकार

<u>मौजा बेलापार परगना रारी तहसील सदर, जिला जौनपुर।</u>

<u>निर्णय</u>

धर्मा देवी महाविद्यालय बेलापार (हयातगंज) बक्शा जौनपुर द्वारा प्रबन्धक विकास पुत्र रामचन्दर ने आराजी नंम्बर 848/0–458 व 872/0–502 हे0 स्थित ग्राम बेलापार परगना रारी तहसील सदर जिला जौनपुर के बावत धारा 143 ज0बि0अ0 के अन्तर्गत इस अभिकथन के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि आराजी निजाई का मालिक काबिज दाखील है। आराजी निजाई महाविद्यालय के उपयोग में है तथा विद्यालय भवन के लिए उपयोग हो रहा है उसमें कृषि कार्य नही किया जाता है। आराजी निजाई को अकृषिक प्रयोग में लाये जाने के कारण अकृषिक धोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के आलोक में तहसीलदार सदर से नियत प्रारूप पर आख्या प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार सदर ने इस आशय की आख्या प्रेषित किया है कि गाटा संख्या नंम्बर 848/0–458 व 872/0–502 हे0 पर बाउण्ड्रीवाल व विद्यालय भवन बनाकर गैर कृषि प्रयोजन में उपयोग हो रहा है, कृषि कार्य नही होता है। गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने कारण अकृषिक धोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 27–05–2015 स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः आदेश हुआ कि मौजा बेलापार परगना रारी, तहसील सदर, जिला जौनपुर की गाटा संख्या नंम्बर 848/0–458 व 872/0–502 हे0 भूमि का मालगुजारी मुताविक 60–ख कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होना घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर एंव उप निबंधक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हों।

30-5-15

उप जिलाधिकारी

सदर–जौनपुर।

सत्यापित

30/05/15

उप जिलाधिकारी

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, जौनपुर

वाद संख्या–टी20151436042430 धारा 143 ज0बि0अ0

धर्मा देवी महाविद्यालय ----बनाम ----सरकार

मौजा उटरूकला परगना रारी तहसील सदर, जिला जौनपुर।

निर्णय

धर्मा देवी महाविद्यालय बेलापार द्वारा प्रबन्धक विकास पुत्र रामचन्दर ने आराजी नंम्बर 916/2/0–085 हे0 स्थित ग्राम उटरूकला परगना रारी तहसील सदर जिला जौनपुर के बावत धारा 143 ज0बि0अ0 के अन्तर्गत इस अभिकथन के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि आराजी निजाई का मालिक काबिज दाखील है। आराजी निजाई महाविद्यालय के उपयोग में है उसमें कृषि कार्य नही किया जाता बल्कि विद्यालय भवन हेतु उपयोग हो रहा है। आराजी निजाई को अकृषिक प्रयोग में लाये जाने के कारण अकृषिक धोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के आलोक में तहसीलदार सदर से नियत प्रारूप पर आख्या प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार सदर ने इस आशय की आख्या प्रेषित किया है कि गाटा संख्या 916/2/0–085 हे0 का गैर कृषि प्रयोजन में उपयोग हो रहा है, कृषि कार्य नही होता है। गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने कारण अकृषिक धोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 27–05–2015 स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा उटरूकला परगना रारी, तहसील सदर, जिला जौनपुर की गाटा संख्या 916/2/0–085 हे0 भूमि का मालगुजारी मुताविक 60–ख कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होना घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर एंव उप निबंधक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हों।

30-5-15

उप जिलाधिकारी

सदर–जौनपुर।

सत्यापित

30/05/15

उप जिलाधिकारी

सदर, जौनपुर